सत्र परीक्षण संख्या 127/2013

राज्य प्रति राधेश्याम व अन्य

आदेश

प्रस्तुत हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र अभियुक्तगण जितेन्द्र व अनिल की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार दिक्षित, एडवोकेट द्वारा इस आधार पर योजित किया गया है कि अभियुक्तगण गम्भीर रूप से अस्वस्थ होने के कारण आज व्यक्तिगत रूप से न्यायालय आने में असमर्थ हैं। पेशकार द्वारा यह रिपोर्ट दी गयी है कि श्री मिथिलेश कुमार दिक्षित, एडवोकेट का वकालतनामा अभियुक्तगण जितेन्द्र व अनिल से हस्ताक्षरित इस सत्र परीक्षण हेतु नहीं है। अतः श्री मिथिलेश कुमार दिक्षित, एडवोकेट को प्रस्तुत हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र योजित करने का कोई हक व हकूक हासिल नहीं होता है। अभियुक्तगण जितेन्द्र व अनिल पूर्व नियत तिथियों पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आये हैं। विगत तिथि को अभियुक्तगण जितेन्द्र व अनिल को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था। इसके बावजूद अभियुक्तगण आज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुये। अतः अभियुक्तगण जितेन्द्र व अनिल का हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र 27 ख खारिज किया जाता है। अभियुक्तगण जितेन्द्र व अनिल के विरूद्ध गैरजमानतीय वारण्ट एवं उनके जमानतियों को नोटिस अन्तर्गत धारा 446 Cr.P.C. दिनांक 30.05.2017 के लिये जारी किया जावे।

सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर।

03.05.2017 (02.00P.M.)

अभियुक्तगण जितेन्द्र व अनिल की ओर से प्रस्तुत हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र पर विस्तृत आदेश हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र के पुश्त पर पारित किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्तगण जितेन्द्र व अनिल का हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र 27 ख खारिज करते हुये उनके विरूद्ध गैरजमानतीय वारण्ट एवं उनके जमानतियों को नोटिस अन्तर्गत धारा 446 Cr.P.C. दिनांक 30.05.2017 के लिये जारी किया गया है। अतः पत्रावली दिनांक 30.05.2017 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।